Form No. III

(अद)ालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

देवीसिंह etc. बनाम श्रीमति कंवरी etc

नं. 75 सन् 2012

(मु)कदमा ***राजस्व दरख्वास्त्***

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरख्वास्त् विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17-X-2012 को पेश हो। मा. (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **मारवाड़ जंक्शन**	818 1/X/12
17.X.2012 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6, 8 से 12 तक, 17 से 20 तक तामील होकर एवं अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 अदम तामील प्राप्त हुए जो शा. पत्रावली हो। वकील प्रार्थी शेष अप्रार्थीगण को पुनः P.F. नोटिस पेश करे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 19-11-2012 को पेश हो। मा. (हस्ताक्षर) SDO M.J.	
19-11-2012 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 CPC के तहत पेश किया जो शा. पत्रा. हो। वकील प्रार्थी द्वारा शेष अप्रार्थीगण के P.F. नोटिस पेश किये जो जारी हो। पत्रावली आयन्दा जवाब एवं बहस प्रा. पत्र एवं शेष की तलबी हेतु दिनांक 10-12-2012 को पेश हो। मा. (हस्ताक्षर) SDO	1133 19/11/2012
10-12-2012 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी वास्ते जवाब व बहस प्रा. पत्र समय चाहते है। अतः पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस प्रा. पत्र आयन्दा दिनांक 7-1-13 को पेश हो। मा. (हस्ताक्षर) SDO	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही
6/8/19	पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है/ बैठक में व्यस्त है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 13/8/19 को पेश हो। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन
13/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु०। वकील प्रार्थीगण दिनांक 12/5/19 से आदिनांक तक लगातार अनु०, जो कि वकील प्रार्थी का न्यायालय के प्रति घोर उदासीनता को व्यक्त करता है। हस्तगत प्रकरण से संबंधित मूल वाद मे प्रार्थी/वादी पक्ष को नोटिस के जरीये तलब किया गया। जिसमे प्रार्थी/वादी पक्ष के नोटिस बाद तामिल/तस्दीक प्राप्त हुए। प्राप्त नोटिस मे वादी/प्रार्थी सं. 3 का सम्मन उसके पुत्र द्वारा प्राप्त किया गया जो कि विधिवत तामिली की श्रेणी मे आता है। प्रार्थी/वादी सं. 4 का नोटिस चस्पा शुदा प्राप्त हुआ जिसकी तस्दीक केवल एक मौतबिरान द्वारा की गई। जबकि प्रार्थी/वादी सं. 1 व 2 की मौत की तस्दीक प्राप्त हुई। जबकि वादी/प्रार्थी सं. 5 व 6 की नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। जिसमे बाहर होने की तस्दीक प्राप्त हुई) प्राप्त नोटिस से यह स्पष्ट है कि न तो प्रार्थी स्वयं और न ही अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष हस्तगत प्रकरण मे किसी प्रकार की रुचि रखते है जिससे प्रकरण की आवश्यकता तथा उसके Urgent Nature का होने पर doubt होता है। चुंकि प्रार्थीपक्ष प्रार्थी सं. 3 तथा वकील प्रार्थी बावजूद सूचना के आदिनांक तक

हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	उ… का
	न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः हस्तगत प्रकरण को आगे चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अथवा वकील प्रार्थी की अनुपस्थिती के कारण हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किया जाता है। मिसल फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 13/8/19 को सुनाया गया।	
	सहायक कलेक्टर मारहरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: